PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Need to regulate and control the problem of spurious drug formulation in Government Hospitals (Contd.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Manoj Bhattacharya, you can carry on now. Under rule 161, respect of Private Member's Resolution or Private Member's Bill, the maximum time allotted to the Mover is half-an hour...(*Interruptions*)...It is 30 minutes. Please conclude now.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I know that I just seek your indulgence...(*Interruptions*)...Sir, the subject is so vast that I cannot do justice to it...(*Interruptions*)...I really wonder, the prices of drugs have gone up enormously. I request the Minister to take note it because it is a collective responsibility of the Cabinet. The Cabinet functions in a collective manner. So, please take note it. The prices of medicines, after 1994, have gone up extensively. They have gone up. I must say, by leaps and bounds. Let me just give some examples. I can also hand over the papers. The anti-diarrhoeal drug prices have gone up from 3 to 59 per cent. The prices of Pancreatic and Hapatobiliary drugs have gone up from 3 to 62 per cent. The Digestive Enzymes prices...(*Interruptions*)..It is during the period 1994-98. I have the latest figures, up to 2003. I can also give you these papers...(*Interruptions*)...Would you please collect these papers?..(Interruptions)...Please take these papers and place them on the Table of the House...(*Interruptions*)...You can take the help of the Ministry concerned, the Ministry of Chemicals & Fertilizers. I have pointed out...(*Interruptions*)...Sir, I place, with your permission, these papers on the Table of the House so that the hon. Health Minister can collect these papers and pass on to the Ministry concerned so that right actions can be taken because the prices of medicines have gone up.

Even though it has been assured that the prices of off-patented drugs are not increasing, unfortunately, I find from the statistics that the prices of all the medicines have gone up. Sir, this is a very serious issue. The poor people cannot afford to purchase the medicines. Once the prices of medicines go up by leap and bounds, I am sure, more and more people will not be able to purchase these medicines and it will become difficult for them to survive. ...*(Interruptions)*... My friend, Mr. Jairam Ramesh, has suggested how to take care of .....*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I want to make a suggestion here. After the hon. Members speak on this important issue, the Minister gives a reply. Definitely, as you have suggested, the Resolution may lapse, but he can at least give us an assurance that he will look into the matter. The operative part is the response of the Minister. I am hopeful that there will be a positive response.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I have told Mr. Manoj Bhattacharya.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: I am concluding, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I have told Mr. Bhattacharya. He should give a chance to others also. There are two or three Members who would like to express their views. Then, we can hear the Minister and get an assurance.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, our time was to start from 2.30. We had to wait up to 3.10 or so.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not restricting you. ...*(Interruptions)*... Mr. Bhattacharya, the time allotted is two hours. You are the mover of the Resolution. You have already taken one hour. There are other Members also.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I am relentless in my struggle for the people, but since you are advising me, I am relenting for the time being.

Sir, I also express my anguish because for more than five years I have been trying, on a number of occasions, to get a Calling Attention Motion on this issue. But nothing could be done. Therefore, I seek your help and guidance in the days to come so that a Calling Attention Motion can be moved on this issue. Since the hon. Minister of Chemicals and Fertilizers is not present here today, in the next session, in the monsoon session, kindly allow a Calling Attendion Motion and you take a special initiative. With this assurance, I will certainly stop here. Thank you.

श्री उपसभापति: श्री मूल चन्द मीणा। आप कृपया संक्षेप में बोलिए। ..(व्यवधान)..

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): महोदय, माननीय सदस्य श्री रमेश जी पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कितने मिनट हैं, इसलिए कृपया आप बता दीजिए। ..(व्यवधान)..

4.00 P.M.

श्री उपसभापति: आपके लिए पांच मिनट हैं।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति महोदय, इस सदन के सदस्य श्री मनोज भट्टाचार्य जी ने इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता जागृत की है, उसकी मैं सराहना करता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

मैं मानता हूं कि आज इस देश के अंदर जो नकली दवा बनाने वाली कम्पनियां हैं, जो नकली दवा बनाकर, उनको बेचने का धंधा कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा जाल इस देश के अंदर फैला हुआ है। इस जाल को मिटाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही मनोज भट्टाचार्य जी यह संकल्प लाए हैं। इस संकल्प के महत्व को समझते हुए, सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। आज हजारों की संख्या में नकली दवा बनाने वाली कम्पनियां नकली दवाइयां बना रहीं हैं। नकली दवाई का नुकसान देश के लोगों को उठाना पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हैं। गांवों के अंदर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि यह दवाई नकली है, हम इस दवाई से ठीक होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि वहां इलाज करने वाले डाक्टर झोला छाप होते हैं। वहां पर टाइम बार की दवाइयां भी बिकती हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस दवाई को लेने से बीमारी मिटनी थी, उसकी बजाए बीमारी और बढ़ जाती है। कई तो इससे मर भी जाते हैं। कुछ लोग इस देश में यह ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि देश के स्वास्थ्य विभाग का ढांचा इस प्रकार से बना हुआ है कि ब्लाक स्तर पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक होता है। वह स्वास्थ्य निरीक्षक क्या काम कर रहा है? जिले के अंदर अधिकारी होता है, जिसको सीएमएचओ कहते हैं। वह सीएमएचओ क्या कर रहा है? नकली दवाइयां बेचने वालों के साथ वह इंस्पैक्टर मिलकर गलत धंधे कर रहा है। इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। हमेशा इस सदन में और दूसरे सदन में भी इस पर चर्चाएं होती रहीं हैं, चिंताएं होती रहीं हैं कि नकली दवाई बेचने वाले जो गोरख धंधा कर रहे हैं, उनको रोका जाए। माननीय सदस्य यहां इन सदनों में उनको रोकने के ऊपर चिंता कर लेते हैं। वह एक चिंता ही रह जाती है, उसके बाद इस बात का सवाल नहीं है बल्कि ज्यादा बढ़ जाती है घटिया दवा और नकली दवाओं का प्रकोप देश के गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा होता है गरीब को पता ही नहीं रहता है कि किस कम्पनी की कौन सी दवाइयां हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं। उसका प्रयोग उसके ऊपर होता है, उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य, उसके बच्चों और परिवार पर पड़ता है। हम छुआछूत की बीमारी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर में एक आदमी को छुआछूत की बीमारी हो जाती है, उस बीमारी की रोक-थाम नहीं हो पाती है जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है।

अभी मनोज भट्टाचार्य जी अलवर की एक कम्पनी की नकली दवाइयों की बात कर रहे थे। ऐसी हजारों कंपनियां हैं, जो दूसरे के नाम से चल रहीं हैं। लोग नकली नाम देकर बेच रहे हैं, पकड़े जाते हैं, दवाई का नाम बदल लिया जाता है, दूसरा नाम देकर उसी दवाई को बेचा जाता है। नकली दवाई बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस भी इस तरीके से कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। लाइसेंसधारी कोई और है, दुकान चलाने वाला, दवाई बेचने वाला कोई और है। ऐसी जो कार्रवाइयां होती हैं, उसमें वे पकड़े जाते हैं, लाइसेंसधारी पर कार्रवाई होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी सारे देश में जांच कराई जाए। दूसरे के नाम से लाइसेंस लेकर जो दुकान चला रहा है, जो नकली दवाइयां बेच रहा है, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। जो ओरिजिनल लाइसेंसधारी हैं, उन्हें इजाजत दी जाए कि वे यह-यह दवाई बेचेंगे। ऐसा करने से आपका जो कानून बना हुआ है, वे उसके शिकंजे में आ सकेंगे। अभी यह हो रहा है कि दण्ड कोई भोगता है, पैसा कोई और कमाता है। माननीय मंत्री महोदय, दवाई के नाम पर यह जो गोरखधंधा चल रहा है, यह बहुत गलत है। हम दवाइयों की कीमत की बात कर रहे थे। इस रेजोल्यूशन में दोनों बातें हैं। दोनों मंत्रालय इसमें कवर होते हैं। आप दवाई के पैकेट के ऊपर देख लीजिए, दवाई की लिखी हुई कीमत क्या है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि एक दवाई की कीमत पैकेट के ऊपर लिखी हुई थी, बीस, सैंतीस रुपए और उसका मूल्य बाजार में सात रुपए था। यह बहुत गलत बात है। कई लोगों से उसी दवाई के सैंतीस रुपए ले लिए जाते हैं। इसलिए जो प्रिंटिड मूल्य है, कम से कम वह तो सही हो। आपने उसके ऊपर रिसर्च कराया या उसकी माइन्यूटली जांच कराई है कि सैंतीस रुपए में यह दवाई कैसे होगी? इसके ऊपर कितनी लागत आती है, इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है। दवाई का मूल्य, हिन्दुस्तान जैसे देश के अंदर इलाज के नाम पर पैसा ले लें ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): एक सैकिण्ड, एक बात बोलनी है। देखिए, जनरली सभी मैम्बर्स की इच्छा पांच बजे तक सदन चलाने की है। नियम के हिसाब से 5.30 तक चल सकता है। आप लोग तय करें कि आप सदन 5.00 तक चलाना चाहते हैं या 5.30 बजे तक चलाना चाहते हैं।

श्री मनोज भट्टाचार्य: 5.30 बजे तक..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: 5.00 बजे तक।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मनोज जी, आपने तो पूरा बोल लिया है, आप क्यों चिंता करते हैं, आपका जवाब आना चाहिए।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, after the reply of the Minister, I have to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): I am coming to that. I have not talked about the Minister. The Minister will take at least 30 minutes. Am I right, Mr. Minister?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): Sir, I will take 20 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): So, we still give him 30 minutes because while speaking he will take some more time. Now we have five speakers. मैं मैम्बर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि If everybody speaks for five minutes, it will work; otherwise, it will have to be extended. So, everybody will speak for five minutes each.

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपका समय हो गया है, लेकिन आप एक-दो मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष जी, मैं दवाइयों की कीमत के बारे में कह रहा था... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): कीमत के बारे में मत बोलिए, कीमत इनके हाथ में नहीं है....(व्यवधान)

श्री मूल चन्द मीणा: दोनों मंत्रालय हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): कीमत के बारे में ये कुछ नहीं कर सकते।

श्री मूल चन्द मीणा: आपने मेरी सुनी ही नहीं, आप पहले ही कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): बोलिए।

श्री मूल चन्द मीणा: मैं कीमत के बारे में यह कह रहा था कि आपके पास दवाई बेचने वाली दुकानों के ऊपर जो गवर्नमेंट की ओर से रेट है, उसकी लिस्ट लगवा दी जाए। उसकी औषधालयों में लिस्ट हो। खरीदने वाले को पता तो लग जाए कि दवाई की कीमत क्या है। मैं कह रहा हूं कि कीमत पर कंट्रोल किया जाए। इस देश में गरीब आदमी हैं, गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाता है, वह अपने इलाज पर पैसा खर्च नहीं कर पाता है, इसलिए आप गरीब आदमी के ऊपर ध्यान दें कि उसे दवाई के नाम पर लूटा न जाए, उससे ज्यादा पैसा न लिया जाए। इसके लिए आप दवाओं की दुकानों पर एक लिस्ट लगवा दें कि इस दवा का यह मूल्य है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

उपसभापति महोदय, दुनिया के दूसरे देशों की तरह हमारे देश का आदमी भी चाहता है कि उसका इलाज वैज्ञानिक तरीके से हो, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कितना ध्यान है? दुनिया के देशों में जो इलाज किया जाता है, क्या उसी तरीके से हम हिंदुस्तान के लोगों का इलाज कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, क्या इस प्रकार की कोई योजना आपकी है? जो ये झोलाछाप डॉक्टर्स गांवों में इलाज करते हैं, इनको आप प्रतिबंधित करेंगे, इनको रोक पाएंगे? आए दिन अखबारों में खबरें छपती रहती हैं कि आज इस डॉक्टर की दवा से इस गांव का आदमी मर गया, मामूली बुखार होने पर भी, एक दवाई देने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या आपका उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का विचार है, यह आप अपने जवाब में बताएं। इसके साथ ही मैं WHO के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। WHO के माध्यम से हमें बहुत आर्थिक सहायता मिलती है ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): This is a different subject altogether.

श्री उपसभापति: मीणा जी, अब समाप्त कीजिए, सभी सदस्यों का समय पांच-पांच मिनट ही है।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के गरीब लोगों के इलाज के लिए गलत दवाओं का इस्तेमाल न हो और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप जरूर अपनी ओर से कदम उठाएं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jesudasu Seelam Not present. Shri E.M. Sudarsana Natchiappan.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, this Resolution is a very important one because in the present context of the patent regime, there may be an apprehension that the prices will be very high. Taking, advantage of this situation, these spurious drugs will be coming out in the market as discounted drugs. Sir, since the past several years, we have been wondering why the product patent was not at all allowed by certain groups of the people. We can easily explain this by saying that it is the pharmaceutical companies which were offering these spurious drugs. The entire Indian market was dumped with such type of drugs. Now, I would like to put two important questions to the hon. Minister. One is that when the drugs are givenThrough the public hospitals, there are several complaints in certain States, especially, in Tamil Nadu, are spurious drugs, outdated drugs, which are not giving any effect at all to the patients, who are mostly poor patients. Look at these drugs. They only have

certain colours, but there is no trade name, or any specific name of the drugs and other things. Also, the drugs supplied in public hospitals do not mention any formulations, etc., of the drugs. Nothing is mentioned, and the poor patients are dependent on it. They find that even after taking the drug, they do not get any relief. Then, they go to private hospitals. They mortgage all their savings; they sell their lands, and they give all the money to the private hospitals. Therefore, in a welfare State, the Government has got a very important duty of having a coordinated approach to see to it that the patented drugs are utilized. For that, the Commerce Department should come into the picuture. So also, the Ministry of chemicals, which is fixing the prices should be transferred to the Health Ministry so that they can look after it. All these three departments should sit together and have clear understanding with the State Governments also and see to it that the Drugs Act and the Pharmaceuticals Act are properly implemented. More than that, there should be another thing which happened during Indira Gandhi's period, during the Emergency, when the 20-Point Programme was wholeheartedly implemented. At that time, only genuine medicines were being sold and those too at appropriate prices. That situation has to come. We cannot allow the market to decide it. The market in India is very fluctuating. Till it gets into some disciplines, there should be some discipline and regulation brought in by the Government of India with the consent of the State Governments.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Killing of six persons in police firing in Anantapur Distt. of Andhra Pradesh—(Contd.)

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I would like to draw the attention of the august House, and through the House, of the Government, to a serious issue. Recently, in the Anantapur District, Shri Paritala Ravi, MLA of the Penukonda Assembly Constituency, had been assassinated. An FIR had been filed and, in that FIR, the Andhra Pradesh Chief Minister's on.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You need not mention names. *(Interruptions)*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Do you think I have risen to praise you? *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Go ahead.

*Not recorded.